

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 240 / 2025

अनवान : -

1. मनजीत पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी खाराखेड़ा त० टिब्बी ।

वादी

बनाम्


1. तहसीदार राजस्व टिब्बी

प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता संजय शर्मा की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 4 केएचआर के खाता सं० 115/51 में दर्ज कुल आराजी 9.8670 है० में क्रम सं० 9 पर दर्ज वादी के नाम रणवीर पुत्र जगदीश के स्थान पर मनजीत पुत्र जगदीश की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार यदि कृषि भूमि बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावें। उक्त निर्णय से पूर्व यदि वादी के रणवीर पुत्र जगदीश नाम से किसी संस्था आदि में कोई बकाया हो अथवा किसी प्रकार का मुकदमा आदि जैरकार हो तो उसके लिए वादी का नाम रणवीर पुत्र जगदीश ही लागू होगा। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 6/11/26.....मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर R.A.S
अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़